तारांकित प्रश्न क्र. 153

परिशिष्ट - एक
[19/12/2022]

प्रश्न सं. [क. 153]

(1)

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2020/८० भोपाल दिनांक 28/09/2020

प्रति
कलेक्टर
समस्त जिले
म0प्र0

सीएम राइज स्कूल
परिपत्र- 01

विषयः-सी. एम. राइज़ अंतर्गत विद्यालयों का चयन करने बावत।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदाय करने हेतु सतत रूप से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं । नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं भविष्य में उत्कृष्ट नागरिकों के विकास हेतु शिक्षा एवं उपलब्ध संसाधनों को परिणाममूलक बनाया जाना आवश्यक है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 10,000 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने लक्ष्य रखा गया है।

2/- सी.एम.राइज़ स्कूल विकसित करने के उद्देश्यः-

2.1 नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के समग्र/एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की नामांकन दर को बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट दर को कम करना।
2.2 विद्यार्थियों में आधुनिक 21 वीं शताब्दी की क्षमताओं / दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों, प्राविधियों और तकनीक से लैस करना ।
2.3 बच्चों के समग्र विकास के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठ्येतर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
2.4 सी.एम.राइज़ स्कूल में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि कर उनका समुचित उपयोग करते हुये पालकों में अशासकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहे आकर्षण को रोकना।
2.5 नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम के साथ - साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित करना
2.6 सी.एम राइज़ शालाओं को सी.बी.एस.ई.मान्यता शाला के रूप में परिवर्तन करना।
2.7 छात्रों के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाना ।

3/- सी.एम. राइज़ स्कूल हेतु चिन्हांकन के मापदण्ड :

राज्य स्तर से स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों के यू-डाईस एवं अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के आधार पर प्रति जनशिक्षा 5 विद्यालयों का चिन्हांकन निम्न मापदण्डों के आधार पर किया गया है.

(आर.के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

आयुक्त आदिवासी विकास,परियोजना अधिकारी (शहरी विकास),जिला परियोजना समन्वयक सदस्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। समिति के द्वारा प्रति जनशिक्षा केन्द्र अधिकतम (ग्रेडिंग के आधार पर) चार विद्यालयों का चयन किया जायेगा।

5.3 जिला समिति (कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति) से अनुमोदित जिले की एकजाई सूची पर जिला पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5.4 जिला शिक्षा अधिकारी जिला योजना समिति से अनुमोदित सूची को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

6/- सम्पूर्ण सत्यापन एवं अनुमोदन का कार्य निश्चित समय-सीमा में कराये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। इसके लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण सहित समय सीमा में कार्य संपादन हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।

कृपया सी.एम. राइज शालाओं के चिन्हांकन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये कार्य समय सीमा में करवाने का कष्ट करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2020/61 भोपाल दिनांक 28/09/20

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 शासन।
4. आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
5. संभागीय आयुक्त राजस्व समस्त संभाग म0प्र0।
6. संयुक्त संचालक लोकशिक्षण संभाग समस्त संभाग म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग समस्त जिले को सूचनार्थ एवं समय सीमा में कार्यवाही हेतु आदेशित।
9. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ एवं समय सीमा में कार्यवाही हेतु आदेशित।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

3.1 भविष्य में न्यूनतम 1000 बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष, खेल मैदान, लाइब्रेरी,कंप्यूटर लैब आदि निर्मित किये जाने हेतु भूमि की उपलब्धता।

3.2 विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के केंद्र में स्थित होना जिससे समीपस्थ बसाहटों के बच्चों को सी.एम.राइज़-स्कूल तक आने में कम दूरी तय करना पड़े एवं परिवहन सुविधा का कम से कम उपयोग करना पड़े।

3.3 विद्यालय का एकीकृत (EPES) होना।

3.4 विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या।

3.5 विद्यालय में आई.सी.टी. की उपलब्धता।

3.6 विद्यालय का नामांकन।

4/- सी.एम.राइज़ स्कूल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया-

कंडिका-3 अनुसार विद्यालयों का चयन यू-डाइस डाटा के आधार पर किया गया है, अतएव इनका भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, जिससे प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र के अधिकतम 4 विद्यालय एवं प्रदेश के कुल 10,000 विद्यालयों को वरीयता के आधार पर अंतिम रूप से सी.एम.राइज स्कूल हेतु चयनित किया जा सके। अतः भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

4.1 राज्य स्तर से प्रति जनशिक्षा केन्द्र से 5 ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया है, जिन्हें सर्वसुविधायुक्त आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की संभावना है।

4.2 जिलेवार चिन्हित विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल पर डीईओ के लॉगइन पर अपलोड की गई है।

4.3 सूची अनुसार विद्यालयों का भौतिक सत्यापन संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक के माध्यम से संयुक्त रूप से कराया जायेगा।

4.4 भौतिक सत्यापन के दौरान चिन्हित विद्यालयों की सूची के अतिरिक्त अन्य विद्यालय का विकल्प होने पर सत्यापन दल बेहतर विद्यालय को प्रस्तावित कर सकता है।

4.5 विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्रोत समन्वयक संयुक्त रूप से विकासखण्ड के 10 प्रतिशत विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर क्रॉस चेक करेंगे।

4.6 जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक अपने स्तर से प्रत्येक विकासखण्ड के 5-5 विद्यालयों को क्रॉस चेक करेंगे।

4.7 सत्यापन प्रक्रिया पर प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, संकुल प्राचार्य एवं जनशिक्षकों को राज्य स्तरीय सी.एम.राइज़ टीम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5/- सी.एम.राइज स्कूल के चयन का अनुमोदन:-

5.1 भौतिक सत्यापन एवं जिले से क्रॉस चेक उपरांत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व विकासखण्ड स्रोत समन्वयक विकासखण्ड के सी.एम.राइज़ स्कूल की एकजाई सूची पर जनपद पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

5.2 जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखण्डों से प्राप्त अनुमोदित सूची पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,सहायक